

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग17
24/5/18

ND

क्रमांक : 20(1)त.शि./2011 ~~17~~

जयपुर, दिनांक, 21 मई, 2018

निदेशक,


सेटर फॉर ई-गवर्नेन्स,
झालाना डूंगरी,
जयपुर।

विषय:-रीप-2018 के तहत बी.ई./बी.टेक./बी.आर्क./एमबीए/
एमसीए/बीएचएमसीटी पाठ्यक्रमों में निजी एवं राजकीय
अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में प्रवेशित छात्रों से लिये जाने वाली
फीस के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति से वर्ष 2018-19 हेतु बी.ई. बी.टेक./बी.आर्क. पाठ्यक्रमों हेतु फीस का निर्धारण नहीं किया जाता है। तब तक पूर्व में राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित फीस ही लागू रहेगी एवं राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में प्रवेशित छात्रों से वर्ष 2018-19 में विभाग द्वारा निर्धारित फीस 60,000/- रुपये ली जावे।

भवदीय


संयुक्त सचिव, त.शि.